REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022021-224862 CG-DL-E-01022021-224862

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 2021/माघ 12, 1942 No. 54] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2021/MAGHA 12, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 92(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (परिभाषा संबंधी ब्यौरों के विनिर्देश) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम कंपनी (परिभाषा संबंधी ब्यौरों के विनिर्देश) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (परिभाषा संबंधी ब्यौरो के विनिर्देश) नियम, 2014 में,

नियम 2 में, उप-नियम (1) में, खंड (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(न) अधिनियम की धारा 2 के खंड (85) के उप-खंड (i) और उप-खंड (ii) के प्रयोजनार्थ, छोटी कंपनी की प्रदत्त पूंजी और आवर्तन क्रमशः दो करोड़ रुपये और बीस करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।"।

[फा. सं. 01/13/2013 सीएल-V, भाग I]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में, दिनांक 31 मार्च, 2014 की सा.का.नि. संख्या 238(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए और अंतिम बार दिनांक 07 मई, 2018 की सा.का.नि. संख्या 433(अ) द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

G.S.R. 92(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014, namely: -

1. Short title and commencement: - (1) These rules may be called the Companies (Specification of Definitions Details) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the 1st day April, 2021.

2. In the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014,

in the rule 2, in sub-rule (1), after clause (s), the following clause shall be inserted, namely:-

"(t) For the purposes of sub-clause (i) and sub-clause (ii) of clause (85) of section 2 of the Act, paid up capital and turnover of the small company shall not exceed rupees two crores and rupees twenty crores respectively."

[F. No. 1/13/2013 CL-V, Part I] K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 238(E), dated 31st March, 2014 and was last amended *vide* number G.S.R. 433(E) dated the 7th May, 2018.